



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 23 अगस्त, 1985

भाद्रपद 1, 1907 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1506 / सत्रह-वि-1-1(क)-17-1985

लखनऊ, 23 अगस्त, 1985

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985 पर दिनांक 21 अगस्त, 1985 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन)
अधिनियम, 1985

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1985)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह 12 जून, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 5 सन्
1982 की धारा
16 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 16 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 18 और 33" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 18, 21-ख, 21-ग, 21-घ, 33 और 33-क" रख दिये जायेंगे।

धारा 21 का
संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(क) उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"परन्तु जहां इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16-छ की उपधारा (3) के अनुसार निरीक्षक के पूर्वानुमोदन के लिये कोई निर्देश पहली जनवरी, 1984 के पूर्व किया गया हो, वहां आयोग के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे निर्देश पर उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जायगी मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो।";

(ख) उपधारा (2) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"परन्तु जहां इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16-छ की उपधारा (3) के अनुसार निरीक्षक के पूर्वानुमोदन के लिये कोई निर्देश इस उपधारा के प्रारम्भ होने के पूर्व किया गया हो, वहां बोर्ड के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे निर्देश पर उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जायगी मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो।"

4—मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्

"अध्याय चार-क

आरक्षित समूह के अध्यापक

21-क—इस अध्याय में,—

परिभाषाएं (क) "निदेशक" का तात्पर्य शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है ;

(ख) पद "निरीक्षक", "संस्था", "प्रबन्धतन्त्र" और "अध्यापक" के बही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 में क्रमशः शब्द "निरीक्षक", "संस्था", "प्रबन्धाधिकरण (भैनेजमेन्ट)" और "अध्यापक" के लिये दिये गये हैं, परन्तु "अध्यापक" के अन्तर्गत प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक नहीं होगा।

21-ख—(1) निरीक्षक विहित रीति से "आरक्षित समूह अध्यापकों" का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें ऐसे व्यक्तियों की विषयवार सूची होगी जो उत्तर प्रदेश आरक्षित समूह के हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्म-अध्यापकों का चारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की धारा (4) के अधीन, जब कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टर-मीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, 1977 प्रवृत्त था, या तो प्रबन्धतन्त्र द्वारा या निरीक्षक द्वारा जिले में स्थित किसी संस्था में अध्यापक के रूप में नियुक्त किये गये थे और जिन्होंने 9 जनवरी, 1978 और 19 जनवरी, 1978 के मध्य (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) उक्त उपबन्ध के अनुसार वस्तुतः अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया था।

(2) आरक्षित समूह के ऐसे प्रत्येक अध्यापक को, जो उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) अध्यादेश, 1978 या उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) अध्यादेश, 1978 के उपबन्धों के अनुसार किसी संस्था में अध्यापक के पद पर नियुक्त किये जाने के पश्चात् किसी न्यायालय के आदेश से या किसी अन्य कारण से सेवा में बना है, ऐसे पद पर नियमित रूप से नियुक्त समझा जायगा और उस दिनांक से जब से वह सामान्य रूप में स्थायी कर दिया गया होता, ऐसे पद पर स्थायी किये जाने का हकदार होगा।

(3) जहां किसी संस्था में अध्यापक के किसी पद की मौलिक रिक्ति को सीधी मर्ती द्वारा भरा जाना हो, वहां निरीक्षक के अनुरोध पर प्रबन्धतन्त्र ऐसा पद उपधारा (2) में निर्दिष्ट अध्यापक से भिन्न किसी ऐसे अध्यापक को देने की प्रस्थापना करेगा जिसका नाम उपधारा (1) में निर्दिष्ट रजिस्टर में प्रविष्ट हो।

उत्तर प्रदेश
अध्यापक
संख्या 10
1978

उत्तर प्रदेश
अध्यापक
संख्या
22
1978

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 5 सन्
1982 की धारा
16 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 16 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 18 और 33" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 18, 21-ख, 21-ग, 21-घ, 33 और 33-क" रख दिये जायेंगे।

धारा 21 का
संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(क) उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"परन्तु जहाँ इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16-छ की उपधारा (3) के अनुसार निरीक्षक के पूर्वानुमोदन के लिये कोई निर्देश पहली जनवरी, 1984 के पूर्व किया गया हो, वहाँ आयोग के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे निर्देश पर उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जायगी मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो।";

(ख) उपधारा (2) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"परन्तु जहाँ इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16-छ की उपधारा (3) के अनुसार निरीक्षक के पूर्वानुमोदन के लिये कोई निर्देश इस उपधारा के प्रारम्भ होने के पूर्व किया गया हो, वहाँ बोर्ड के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे निर्देश पर उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जायगी मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो।"

नया अध्याय
चार-क
का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्

"अध्याय चार-क

आरक्षित समूह के अध्यापक

21-क—इस अध्याय में,—

परिभाषाएं (क) "निदेशक" का तात्पर्य शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है ;

(ख) पद "निरीक्षक", "संस्था", "प्रबन्धतन्त्र" और "अध्यापक" के बही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 में क्रमशः शब्द "निरीक्षक", "संस्था", "प्रबन्धाधिकरण (मैनेजमेन्ट)" और "अध्यापक" के लिये दिये गये हैं, परन्तु "अध्यापक" के अन्तर्गत प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक नहीं होगा।

21-ख-(1) निरीक्षक विहित रीति से "आरक्षित समूह अध्यापकों" का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें ऐसे व्यक्तियों की विषयवार सूची होगी जो उत्तर प्रदेश आरक्षित समूह के हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्म-अध्यापकों का चारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की आभेलन उपधारा (4) के अधीन, जब कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टर-मीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, 1977 प्रवृत्त था, या तो प्रबन्धतन्त्र द्वारा या निरीक्षक द्वारा जिले में स्थित किसी संस्था में अध्यापक के रूप में नियुक्त किये गये थे और जिन्होंने 9 जनवरी, 1978 और 19 जनवरी, 1978 के मध्य (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) उक्त उपबन्ध के अनुसार वस्तुतः अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया था।

(2) आरक्षित समूह के ऐसे प्रत्येक अध्यापक को, जो उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) अध्यादेश, 1978 या उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) अध्यादेश, 1978 के उपबन्धों के अनुसार किसी संस्था में अध्यापक के पद पर नियुक्त किये जाने के पश्चात् किसी न्यायालय के आदेश से या किसी अन्य कारण से सेवा में बना है, ऐसे पद पर नियमित रूप से नियुक्त समझा जायगा और उस दिनांक से जब से वह सामान्य रूप में स्थायी कर दिया गया होता, ऐसे पद पर स्थायी किये जाने का हकदार होगा।

(3) जहाँ किसी संस्था में अध्यापक के किसी पद की मौलिक रिक्ति को सीधे मर्ती द्वारा भरा जाना हो, वहाँ निरीक्षक के अनुरोध पर प्रबन्धतन्त्र ऐसा पद उपधारा (2) में निर्दिष्ट अध्यापक से निम्न किसी ऐसे अध्यापक को देने की प्रस्थापना करेगा जिसका नाम उपधारा (1) में निर्दिष्ट रजिस्टर में प्रविष्ट हो।

उत्तर
अध्यापक
संख्या
1978

उत्तर
अध्यापक
संख्या

22
1978

(4) यदि किसी अध्यापक को उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार नियुक्ति की प्रस्थापना की जाय और वह तदर्थ अनुमन्य समय के भीतर, जो सात दिन से कम नहीं होगा कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहे तो उसका नाम उपधारा (1) में निर्दिष्ट रजिस्टर से हटा दिया जायगा, और नियुक्ति की प्रस्थापना उस विषय में उसी जिले के अगले आरक्षित समूह अध्यापक को की जायगी।

(5) यदि ऐसा अन्य अध्यापक भी जिसको नियुक्ति की प्रस्थापना की जाय, कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहे तो इसी प्रक्रिया को तब तक दोहराया जायगा जब तक कि उस विषय में उस जिले के आरक्षित समूह अध्यापकों की सूची निःशेष न हो जाय।

(6) किसी संस्था में किसी अध्यापक की नियुक्ति धारा 16 के अधीन तब तक नहीं की जायगी, जब तक कि सम्बन्ध विषय में उस जिले के आरक्षित समूह अध्यापकों की सूची उपधारा (5) के अनुसार निःशेष न हो जाय।

स्पष्टीकरण—संदेहों के निवारण के लिये एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि इस धारा के उपबन्धों के आधार पर कोई अध्यापक किसी ऐसे विशेष पद पर जिसका उसने उपधारा (1) में निर्दिष्ट रीति से कार्यभार ग्रहण किया था, या उसी वेतनमान या किसी उच्चतर वेतनमान में किसी अन्य पद पर नियुक्ति का दावा करने का हकदार न होगा।

21-ग-(1) जहां किसी जिले में किसी विषय में शिक्षण के लिए उपलब्ध रिक्तियां नियुक्ति के लिये आरक्षित समूह अध्यापकों की उपलब्ध संख्या स्थानान्तरण के संबंध में निदेशक की शक्ति से कम हों, या जहां ऐसा करना अन्यथा आवश्यक या समीचीन हो, वहां निदेशक धारा 21-ख में दी गई किसी बात के होते हुए भी, निदेश दे सकता है कि किसी ऐसे अध्यापक का नाम किसी एक जिले में रखे गये रजिस्टर से निकाल दिया जाय और उसे अन्य जिले में रखे गये रजिस्टर में सम्मिलित किया जाय।

(2) जहां किसी आरक्षित समूह अध्यापक का नाम उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अन्य जिले के रजिस्टर में सम्मिलित किया जाता है, वहां धारा 21-ख के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, ऐसे अध्यापक के सम्बन्ध में लागू होंगे सिवाय इसके कि ऐसे जिले में किसी अध्यापक के रूप में सेवा की अपेक्षा आवश्यक न होगी।

21-घ-(1) जहां प्रबन्धतन्त्र निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर धारा 21-ख की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार किसी अध्यापक को किसी प्रबन्धतंत्र द्वारा पद की प्रस्थापना करने में विफल रहे, वहां निरीक्षक स्वयं ऐसे अध्यापक को नियुक्ति-पत्र जारी कर सकता है और सम्बन्धित अध्यापक ऐसे नियुक्ति-पत्र के अनुसरण में पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपना वेतन पाने का हकदार होगा।

(2) जहां ऐसा अध्यापक जिसे उपधारा (1) के अधीन नियुक्ति-पत्र जारी किया जाय, प्रबन्धतंत्र की ओर से कोई कार्य या लोप किये जाने के कारण पद का कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ रहता है, वहां ऐसा अध्यापक अपना कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट निरीक्षक को प्रस्तुत कर सकता है और तब वह उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिनांक से अपना वेतन पाने का हकदार हो जायगा।

5—मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

“33-क-(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ के पूर्व, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1981 के पैरा 2 के अनुसार किसी मौलिक रिक्ति में तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त ऐसे प्रत्येक अध्यापक को, जो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के उपबन्धों के अधीन विहित अर्हताएं रखता है या जिसे उसके उपबन्धों के अनुसार ऐसी अर्हताओं से छूट दी गयी है, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से मौलिक रूप में नियुक्त समझा जायगा, बशर्ते ऐसा अध्यापक ऐसी नियुक्ति के दिनांक से ऐसे प्रारम्भ के दिनांक तक संस्था में निरन्तर कार्य करता रहा हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त समझे गये प्रत्येक अध्यापक को ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से परिवीक्षा पर समझा जायगा।

(3) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि कोई अध्यापक मौलिक नियुक्ति का हकदार है—

(क) यदि ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को ऐसा पद पहले ही भर दिया गया हो या ऐसे पद के लिये इस अधिनियम के अनुसार चयन किया जा चुका है; या

नई धारा 33-क का बढ़ाया जाना

(ख) यदि ऐसा अध्यापक सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य या उसके प्राचार्य या प्रधान अध्यापक का सम्बन्धी है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से सम्बन्धित समझा जायगा, यदि—

(एक) वे हिन्दू अविमक्त कुटुम्ब के सदस्य हों ; या

(दो) वे पति और पत्नी हों ; या

(तीन) एक व्यक्ति दूसरे से इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की द्वितीय अनुसूची में इंगित रीति से संबंधित हो।”

निरसन और
अपवाद

6—(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

बी० एल० लूम्बा,
सचिव।

No. 1506(2)/XVII-V—1-1 (KA)-17-1985

Dated Lucknow, August 23, 1985

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Sewa Ayog Aur Chayan Board (Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on August 21, 1985.

**THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES
COMMISSION AND SELECTION BOARDS (AMENDMENT)
ACT, 1985**

(U. P. ACT NO. 19 OF 1985)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards Act, 1982.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1985.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 12, 1985.

Amendment of section 16 of U. P. Act no. 5 of 1982.

2. In section 16 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards Act, 1982, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), for the words and figures “sections 18 and 33” the words and figures, “sections 18, 21-B, 21-C, 21-D, 33 and 33-A” shall be substituted.

Amendment of section 21.

3. In section 21 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

“Provided that, where reference for prior approval of the Inspector was made in accordance with sub-section (3) of section 16-G of the Intermediate Education Act, 1921, before January 1, 1984, no prior approval of the Commission shall be necessary and such reference shall be dealt with in accordance with the provisions of that Act as if this Act had not come into force.”;

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 19
सन् 1985

(b) in sub-section (2), the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

“Provided that where reference for prior approval of the Inspector was made in accordance with sub-section (3) of section 16-G of the Intermediate Education Act, 1921 before the commencement of this sub-section, no prior approval of the Board shall be necessary and such reference shall be dealt with in accordance with the provisions of that Act as if this Act had not come into force.”

4. After section 21 of the principal Act, the following Chapter shall be inserted, namely :—

Insertion of new Chapter IV-A.

“CHAPTER IV-A
Reserve Pool Teachers

21-A. In this Chapter,—
Definitions

(a) ‘Director’ means the Director of Education, Uttar Pradesh and includes any other officer authorised by him in this behalf;

(b) the expressions ‘Inspector’, ‘Institution’, ‘Management’ and ‘Teacher’ shall have the meanings respectively assigned to them in the Uttar Pradesh High Schools and Intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teachers and other Employees) Act, 1971, provided that ‘teacher’ shall not include a Principal or a Headmaster.

21-B. (1) The Inspector shall maintain in the prescribed manner, a register of ‘reserve pool teachers’ consisting of subject-wise lists of persons who were appointed as teachers in any institution situated in the district, either by the Management or by the Inspector under sub-section (4) of section 4 of the Uttar Pradesh High Schools and Intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teachers and other Employees) Act, 1971, while the Uttar Pradesh High Schools and Intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teachers and other Employees) (Amendment) Ordinance, 1977, was in force, and who had actually joined their duties in pursuance of the said provision between January 9, 1978 and January 19, 1978 (both days inclusive).

(2) Every reserve pool teacher, who having been appointed to the post of a teacher in any institution in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh High School and Intermediate Colleges (Reserve Pool Teachers) Ordinance, 1978 or the Uttar Pradesh High School and Intermediate Colleges (Reserve Pool Teachers) (Second) Ordinance, 1978, continues to be in service by reason of any order of any Court or by any other reason, shall be deemed to have been regularly appointed to such post and shall be entitled to be confirmed in such post with effect from the date on which he would have been confirmed in the normal course.

(3) Where any substantive vacancy in the post of a teacher in an institution is to be filled by direct recruitment, such post shall, at the instance of the Inspector, be offered by the Management to a teacher other than a teacher referred to in sub-section (2), whose name is entered in the register referred to in sub-section (1).

(4) If any teacher is offered appointment in accordance with the provisions of sub-section (3) and he fails to join the post within the time allowed therefor, which shall not be less than seven days, his name shall be removed from the register, referred to in sub-section (1), and the appointment shall be offered to the next reserve pool teacher of the same district in the subject.

(5) If such other teacher to whom offer of appointment is made also fails to join, then the same process shall be repeated until the list of reserve pool teachers of that district in the subject is exhausted.

(6) No appointment of any teacher to an institution shall be made under section 16 until the list of reserve pool teachers of that district in the subject concerned is exhausted in accordance with sub-section (5).

Explanation—For the removal of doubts, it is hereby declared that no teacher shall, by virtue of the provisions of this section, be entitled to claim appointment to any particular post which he had joined in the manner referred to in sub-section (1), or to any other post carrying the same or a higher grade.

U.P. Ordinance no. 10 of 1978

U.P. Ordinance no. 22 of 1978

21-C. (1) Where the vacancies available for teaching in any subject are less than the number of reserve pool teachers available for appointment in any district, or where it is otherwise necessary or expedient so to do, the Director may, notwithstanding anything contained in section 21-B, direct that the name of any such teacher be excluded from the register maintained in one district and be included in the register maintained in another district.

(2) Where the name of a reserve pool teacher is included in the register of another district in accordance with the provisions of sub-section (1), the provision of section 21-B shall *mutatis mutandis* apply to such a teacher, except that the requirement of service as a teacher in such district shall not be necessary.

21-D. (1) Where the Management fails to offer any post to a teacher in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 21-B within the time specified by the Inspector, the Inspector, may himself issue the letter of appointment to such teacher and the teacher concerned shall be entitled to get his salary from the date he joins the post in pursuance of such letter of appointment.

(2) Where the teacher to whom the letter of appointment is issued under sub-section (1), is unable to join the post due to any act or omission on the part of the Management, such teacher may submit his joining report to the Inspector, and, shall thereupon be entitled to get his salary from the date he submits the said report."

Insertion of new section 33 A.

5. After section 33 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"33-A. (1) Every teacher directly appointed, before the commencement of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Regularisation of certain appointments Commission and Selection Boards (Amendment) Ordinance, 1985, on *ad hoc* basis against a substantive vacancy in accordance with paragraph 2 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission (Removal of Difficulties) Order, 1981, as amended from time to time, who possesses the qualifications prescribed under, or is exempted from such qualifications in accordance with, the provisions of the Intermediate Education Act, 1921, shall, with effect from the date of such commencement, be deemed to have been appointed in a substantive capacity provided such teacher has been continuously serving the institution from the date of such appointment up to the date of such commencement.

(2) Every teacher deemed to have been appointed in a substantive capacity under sub-section (1), shall be deemed to be on probation from the date of such commencement.

(3) Nothing in this section shall be construed to entitle any teacher to substantive appointment—

(a) if on the date of such commencement, such post had already been filled or selection for such post had already been made in accordance with this Act, or

(b) if such teacher was related to any member of the Committee of management or the Principal, or Head Master of the institution concerned.

Explanation—For the purposes of this sub-section a person shall be deemed to be related to another if—

(i) they are members of a Hindu undivided family; or

(ii) they are husband and wife; or

(iii) the one is related to the other in the manner indicated in the Second Schedule to the Intermediate Education Act, 1921."

Ordinance
no. 12
1985

6. (1) The Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Ordinance, 1985, is hereby repealed.

Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
B. L. LOOMBA,
Sachiv.